न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	किस्म मुकदमा	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं.28 / 2025 (GCMS No. 2025 / 25)	अपील	19.05.2025	17.03.2026

पार्वती बाई पुत्री स्व. बोदीलाल पत्नी मूलचन्द शर्मा,
निवासी ग्राम तालेडा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी

— अपीलान्ट

बनाम

1. उमा बाई पुत्री नन्दकिशोर पत्नी ईश्वर प्रसाद शर्मा
   निवासी लाम्बाखोह, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
2. गीता बाई पुत्री नन्दकिशोर पत्नी मदनगोपाल
   निवासी सीन्ता, तहसील एवं जिला बून्दी
3. नाथी बाई पुत्री नन्दकिशोर पत्नी ईश्वर प्रसाद शर्मा
   निवासी उपर गांव तालेडा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
4. मूलचन्द शर्मा पुत्र नन्दकिशोर पत्नी ईश्वर प्रसाद शर्मा
   निवासी उपर गांव तालेडा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
5. भारती पुत्री माता रामजानकी बाई पत्नी राजेन्द्र शर्मा
   निवासी छत्रपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी
6. राम शर्मा पुत्र माता रामजानकी बाई पिता किशनगोपाल शर्मा
   निवासी सीन्ता, तहसील एवं जिला बून्दी
7. लक्ष्मीनारायण पुत्र नन्दकिशोर
   निवासी उपर गांव तालेडा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
8. चन्द्रप्रकाश पुत्र बजरंगलाल
   निवासी उपर गांव तालेडा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
9. दिनेश पुत्र बजरंगलाल
   निवासी उपर गांव तालेडा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
10. धनेश्वर कुमार पुत्र बजरंगलाल
    निवासी उपर गांव तालेडा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
11. मोहनलाल पुत्र बजरंगलाल
    निवासी उपर गांव तालेडा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
12. संजय पुत्र बजरंगलाल
    निवासी उपर गांव तालेडा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर, बून्दी

13.हनुमान पुत्र बजरंगलाल
निवासी उपर गांव तालेडा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
14.नीरज पंचोली पुत्र उच्छबलाल पौत्र बजरंगलाल
निवासी उपर गांव तालेडा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
15.रोहित पंचोली पुत्र उच्छबलाल पौत्र बजरंगलाल
निवासी उपर गांव तालेडा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
16.शुभम पंचोली पुत्र उच्छबलाल पौत्र बजरंगलाल
निवासी उपर गांव तालेडा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
17.मंजूबाई पत्नी उच्छबलाल पुत्रबधु बजरंगलाल
निवासी उपर गांव तालेडा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
18.हरिप्रसाश पुत्र बद्रीलाल,
निवासी उपर गांव तालेडा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
19.भीमराज पुत्र बद्रीलाल,
निवासी उपर गांव तालेडा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
20.नन्दकंवरी पुत्री बद्रीलाल पत्नी हनुमान शर्मा,
निवासी चन्द्रशेखर कोलोनी, तालेडा तहसील तालेडा, जिला बून्दी
21.भारती उर्फ कंचन पुत्री बोदीलाल पत्नी चतुर्भुज शर्मा,
नि. शिवाजी स्कूल के पीछे,के.पाटन तहसील के.पाटन, जिला बून्दी
22.बजरंगलाल पुत्र बोदीलाल,
निवासी उपर गांव तालेडा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
23.राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)
24.राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से श्री लीलाधर सिंह, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1 लगायत 4, 7 की ओर से श्री कुलदीप सिंह गौड, एड.
रेस्पो.सं. 8, 9, 11 लगायत 17, 22 की ओर से श्री रामदत्त शर्मा, एड.
रेस्पो.सं. 18, 19 की ओर से श्री कैलाश गुप्ता, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 20 की ओर से श्री मुकेश शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 5, 6, 14, 21 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
रेस्पो.सं. 23, 24 की ओर से पेरोकार सरकार।

जिला कलक्टर, बून्दी

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 177 दिनांक 04.07.1970 ग्राम तालेडा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश दिनांक 26.03.1970 के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 28/2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2025/63 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो.सं. 18, 19 की ओर से वकील श्री कैलाश गुप्ता द्वारा दिनांक 11.11.2025 को एवं रेस्पो.सं. 22 की ओर से वकील श्री रामदत्त शर्मा द्वारा दिनांक 09.12.2025 को जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट को पूर्व से ही होने पर भी अपील 55 वर्षो के विलम्ब से पेश की गई, जो मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। तत्पश्चात रेस्पो.सं. 22 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 43(1) की 3–अ जा.दी. पेश किया गया। अपीलांट की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 20.01.2026 को पेश किया गया।

तत्पश्चात बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 43(1) की 3–अ जा.दी., बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं बहस अन्तिम सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट की पैतृक कृषि भूमि खसरा संख्या 125 रकबा 0.6070 हैक्टेयर, ख.सं. 775/286 रकबा 2.9542 हैक्टेयर, ख.सं. 30 रकबा 9.7043 हैक्टेयर वाकेग्राम तालेडा में स्थित है। जो वर्तमान जमाबंदी में रेस्पो.सं. 1 लगायत 21 की खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि पूर्व में अपीलांट के पिता बोदीलाल आ. गेन्दीलाल ब्राहमण की खातेदारी में दर्ज थी, उक्त खसरा सं. के सेटलमेंट से पूर्व के खसरा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा सं. 30 के गत ख.नं. 16 थे, ख.सं. 125 के गत ख.नं. 123, 156/2 मीन तथा ख.सं. 286 के गत ख.नं. 220 मीन थे। इसके अतिरिक्त भी अपीलांट के पिता के पास अन्य भूमि थी, जिस पर अपीलांट के पिता की मृत्यु के उपरान्त अपीलांट का नाम खातेदारी में दर्ज हो गया। अपीलांट के पिता के पुत्री अपीलांट के अतिरिक्त रेस्पो.सं. 21 पुत्री एवं 3 पुत्र नन्दकिशोर, बजरंगलाल व बद्रीलाल थे। नन्दकिशोर का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान रेस्पो.सं. 1 लगायत 7 है। वर्तमान में बजरंगलाल के स्थान पर उसके

जिला कलेक्टर, बून्दी

वारिसान रेस्पो.संख्या 8 लगायत 17 का नाम खातेदारी में दर्ज हो चुका है। इसी प्रकार बद्रीलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान रेस्पो.सं. 18 लगायत 20 है। तहसीलदार बून्दी द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अपीलांट की पैतृक कृषि भूमि पर बिना अपीलांट की सहमति के बटवारे की तर्ज पर अपीलांट के पिता की जीवित अवस्था में ही अपीलांट के तीनों भाईयों बजरंगलाल, बद्रीलाल, नन्दकिशोर के नाम इंतकाल संख्या 177 दिनांक 04.07.1970 दर्ज कर दिया तथा खातेदार की पुत्रियों अपीलांट व अपीलांट की बहिन रेस्पो.सं. 21 का नाम नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया। जबकि दोनों पुत्रियों का भी पिता की पैतृक सम्पत्ति में तीनों पुत्रों के साथ में बराबर–बराबर का हक व अधिकार था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण तस्दीक करते समय किसी प्रकार के दस्तावेज यथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, दानपत्र, वसीयत या सहमति बटंवारा प्रस्ताव पत्र इत्यादि किसी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नहीं किया गया। आलौच्य नामान्तकरण को बटवारे का नामान्तकरण भी माना जावे तब भी उक्त बटवारे में पैतृक सम्पत्ति होने एवं हिन्दू विधि से शासित होने के कारण अपीलांट बेटी भी अपने पिता की जीवित अवस्था में अपने भाईयों के साथ बराबर का हक व अधिकार रखती है तथा बटवारे में बराबर हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी थी। अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करते समय तहसीलदार बून्दी द्वारा अपीलांट को सुना नहीं गया। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन करते हुये उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान आगे कथन किया कि रेस्पो. द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 के जवाब में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी के यहां प्रस्तुत बटवारे के वाद में अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी होना अंकित किया है किन्तु उक्त वाद में वर्णित कृषि भूमि अपील विषयक भूमि से अलग है। इसलिए उक्त वाद में अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने का रेस्पो. का तथ्य मिथ्या एवं मनगढन्त होने से अस्वीकार है। अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी नामान्तकरण की नकल दिनांक 13.05.2025 को प्राप्त करने पर हुई, इसलिए अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है फिर भी यदि अपील पेश करने में देरी मानी जावें, तो धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया है। वैसे कानूनन अवैध आदेश एवं प्रभावशून्य नामान्तरकरण को कभी भी चैलेंज किया जा सकता है, इसके लिए कोई समयसीमा लागू नही होती है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर दोबारा सुनवाई कर अपीलांट का नाम उक्त कृषि भूमि की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश प्रदान करने बाबत निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक रेस्पोडेंटस ने संयुक्त रूप से बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट ने स्वयं को वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार बोदीलाल की पुत्री होना बताया है तथा उनके खाते की भूमि पर अपना अधिकार माना है, ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके खाते के राजस्व रिकार्ड के बारे में करीब आधी सदी गुजर जाने तक कोई जानकारी नहीं रही हो, यह कतई विश्सनीय नहीं है जबकि खातेदार के वारिसान को पिता के खाते में दर्ज नामों की पूरी जानकारी रहती है। इतना ही नहीं, अपीलांट ने अपने भाई बद्रीलाल के साथ अपील विषयक कृषि भमि के बटवारे का वाद संख्या 181/2002 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी में दिनांक 22.06.2002 को प्रस्तुत किया था, जो दिनांक 17.10.2008 को डिक्री किया गया। इस वाद में स्वयं अपीलांट पार्वतीबाई का बयान हुआ था, इस निर्णय के विरूद्ध अपील संख्या 104/2008 का निर्णय दिनांक 20.07.2008 को हो चुका है तथा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील भी निर्णीत हो चुकी है। इस प्रकार अपीलांट को राजस्व अभिलेख की तत्समय ही पूर्ण जानकारी रही है। अपीलांट द्वारा जानकारी से नियमानुसार 30 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी, जो निर्धारित समय में पेश नहीं की गई, अपितु 55 साल के गंभीर विलम्ब से अपील पेश की गई है, जिसके विलम्ब के संबंध में कोई संतोषजनक कारण भी नही बताया गया, इस कारण प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जावे। अपील मियाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है। अभिभाषक रेस्पोडेंटस द्वारा आरआरडी 2012 पेज 742, आरआरडी 2011 पेज 228, आरआरडी 1991 पेज 164 की नजीरें पेश की जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 43(1) 3ए के तहत अपीलांट द्वारा पेश की गई अपील अवधि बाधित होने से बिना मेरिट पर सुने मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे ज्ञात हुआ कि अपीलांट द्वारा ग्राम तालेडा में विस्थित आराजी के खातेदार बोदीलाल वल्द गेंदीलाल कौम ब्राहमण के स्थान पर नन्दकिशोर, बजरंगलाल, बद्रीलाल पि. बोदीलाल एवं बोदीलाल वल्द गेन्दीलाल के पक्ष में तस्दीक नामान्तरकरण सं 177 दिनांक 04.07.1970 के विरूद्ध यह अपील पेश की जाकर आपत्ति प्रकट की गई है कि अपीलांट मृतक खातेदार बोदीलाल की पुत्री होने के बावजूद भी उनके पिता बोदीलाल के खाते की कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपीलांट के पक्ष में तस्दीक नहीं किया जाकर तीनों भाईयों के पक्ष में तस्दीक किया गया, जो निरस्त किया जावे।

अपील में सर्वप्रथम रेस्पो.सं. 22 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 43(1) की 3–अ जा.दी. का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 04.07.1970

जिला कलक्टर, बून्दी

को तस्दीक किया गया। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 14.05.2025 को इस न्यायालय में पेश की गई। ऐसी स्थिति में अपील को गुणावगुण पर निर्णीत करने से पूर्व मियाद से बिन्दू पर आदेश प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील का सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू परीक्षण किया जाता है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में अपीलांट ने उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.05.2025 को नकल प्राप्त करने पर होना अंकित किया है। अपीलांट ने स्वयं को मृतक खातेदार बोदीलाल की पुत्री होना बताया है। पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 10.07.2009 के बिन्दू संख्या 10 में खातेदार बोदीलाल का वर्ष 1998 में देहान्त हो जाने का तथ्य अंकित है। ऐसे में अपीलांट को अपने पिता के फोत हो जाने के बाद उनके खाते की कृषि भूमियों के राजस्व रेकार्ड की 27 साल से अधिक अवधि गुजर जाने तक कोई जानकारी नहीं रही हो, यह विश्वसनीय नहीं है। जबकि किसानों को लगान अदायगी, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ, फसल खराबा का मुआवजा इत्यादि खातेदारी रिकार्ड के अनुसार ही प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा दिनांक 13.05.2025 से पूर्व नामान्तरकरण की जानकारी नहीं रहने का कोई कारण भी नहीं बताया। इस कारण अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की पहले से ही जानकारी होने की धारणा की जाती है। अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी होने पर भी हस्तगत अपील निर्धारित समयावधि में पेश नहीं की गई है जबकि अपील अन्दर मियाद स्वीकार किए जाने हेतु काननून विलम्ब का संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया जाना अपरिहार्य है। आरआरडी 14.09.2019 पृष्ठ 549 में प्रतिपादित है कि An unlimited limitation would lead to a sense of insecurity and uncertainty and therefore, limitation, prevents disturbance or deprivation of what may have been acquired in equity and justice by long enjoyment or what may have been lost by a party`s own inaction, negligence or laches. इसी प्रकार आर.आर.टी. 2017(1) पृष्ठ 117 में भी प्रतिपादित किया गया है कि Liberal approcah cannot be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- No sufficient cause to explain the delay- Held, Application & appeal are liable to be dismissed. प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुये विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है, जबकि अपील अन्दर मियाद स्वीकार किए जाने हेतु काननून विलम्ब का दिन–प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना अपरिहार्य है। ऐसे में हस्तगत अपील में मियाद कन्डोन करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। अतः अपील अपीलांट अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसमें गंभीर विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अपीलांट पेश करने में असफल रहे हैं। ऐसे में अत्यधिक विलम्ब को कन्डोन किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। फलस्वरूप अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलांट मियाद बाहर पेश होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी